SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

वर्तमान समय मे महिला आरक्षण बिल की प्रासंगिकता का अध्ययन

पंकज, राजनीति विज्ञान विभाग
कमलेश कुमारी, राजनीति विज्ञान विभाग
इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, रेवाडी, हरियाणा, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
पंकज
कमलेश कुमार

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 27/10/2023
Revised on : -----
Accepted on : 03/11/2023
Plagiarism : 00% on 27/10/2023

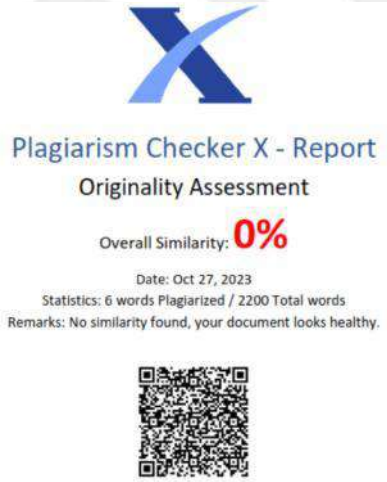

शोध सार

महिला आरक्षण विधेयक कई दशकों से भारत में गहन बहस और चर्चा का विषय रहा है। इस शोध पत्र का उद्देश्य विधेयक, इसके ऐतिहासिक संदर्भ, निहितार्थ और इसके कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करना है। जिन महिलाओं को पहले समाज में कमजोर वर्ग माना जाता था, वे अब जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। भारत महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी प्रयास कर रहा है। अध्ययन ऐसे विधेयक की आवश्यकता, राजनीतिक निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर इसके संभावित प्रभाव और इसके पारित होने में बाधा बनने वाली बाधाओं पर प्रकाश डालता है। महिलाओं को लगभग हर जगह हमेशा भेदभाव का सामना करना पड़ा है (डॉ, रोजी कुमारी)। महिलाओं को सदैव असमानताओं का सामना करना पड़ा। विभिन्न महिलाओं की स्थिति को सूचीबद्ध करने के लिए प्रावधान किए गए इस संबंध में प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने की जरूरत है। चुनाव आदि राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि पुरुष महिलाओं पर हावी था। विधेयक में कहा गया है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए यहां तक कि उन्हें चुपचाप भेदभाव भी सहना पड़ा। समान कानून को लागू करने में अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों और सर्वोत्तम प्रथाओं की भी पड़ताल करता है और आगे बढ़ने के लिए सिफारिशें पेश करता है।

मुख्य शब्द

विधेयक, आरक्षण, भेदभाव, राजनीति, समानता, प्रतिनिधित्व.

परिचय

विश्व की जनसंख्या में से आधी जनसंख्या महिलाओं की है। भारत में महिलाएं लगभग दो–तिहाई घंटे काम करते हैं और कुल आय का केवल दसवां हिस्सा ही प्राप्त करते हैं। महिलाओं को भी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। महिलाओं को हर जगह लगभग हमेशा भेदभाव का सामना करना पड़ा है। संविधान निर्माताओं का प्रयास है कि लिंग के आधार पर पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव न किया जाए। भेदभाव पर रोक लगाने के लिए संविधान में इस संबंध में विभिन्न प्रावधान किये गये। महिला के हित के लिए प्रावधान किये गये। भारत के संविधान में एक प्रस्तावना का उल्लेख किया गया था जो भारत के सभी नागरिकों के लिए स्थिति और अवसर की समानता का वर्णन करता है। यह रोजगार में पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार का प्रावधान करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(3). इस संबंध में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को अधिकृत करता है (हुमंस राइट्स ऑफ़ वीमेन)। भारत का संविधान महिलाओं के लिए वे सभी अधिकार प्रदान करता है जो पुरुषों के लिए प्रदान किए गए थे। महिलाओं को घरेलू माना जाता था क्योंकि उन्हें बच्चों और परिवारों की देखभाल करने में विशेषज्ञ माना जाता था। लेकिन कुछ महिलाओं को अपने जीवन में प्रगति करने के लिए काम, नौकरी और शिक्षा के लिए बाहर जाने की अनुमति दी गई। महिलाएं लगभग हर क्षेत्र में प्रगति करती हैं लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें कोई खास प्रगति नहीं मिल पाती है। अतरू राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का विकास लुप्त हो गया। महात्मा गांधी ने भी महिलाओं के विकास पर जोर दिया। उन्होंने पुरुषों के साथ काम करने के लिए महिलाओं के नाम बताए. अब फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और जर्मनी जैसे देशों में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का विकास देखा जा रहा है। भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं में विशेषज्ञता रखने वाली महिलाओं को भी हाशिये पर धकेल दिया जाता है। महिला आरक्षण विधेयक, जिसे महिला आरक्षण विधेयक के रूप में भी जाना जाता है, भारत में एक प्रस्तावित कानून है जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधान सभाओं सहित विधायी निकायों में महिलाओं के लिए एक निश्चित प्रतिशत सीटें आरक्षित करना है (रश्मी भट्ट)। पहली बार 1996 में पेश किया गया यह विधेयक व्यापक बहस और राजनीतिक चर्चा का विषय रहा है, लेकिन इसका पारित होना मायावी बना हुआ है।

ऐतिहासिक संदर्भ

यह पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी ही थे जिन्होंने मई 1989 में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश करके पहली बार निर्वाचित निकायों में महिला आरक्षण का बीज बोया था। विधेयक लोकसभा में पारित हो गया लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में पारित होने में विफल रहा।

1992 और 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने संविधान संशोधन विधेयक 72 और 73 को फिर से पेश किया, जिसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सभी सीटों और अध्यक्ष पदों का एक तिहाई (33 प्रतिशत) आरक्षित किया गया। विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गये और देश का कानून बन गये। अब देश भर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में लगभग 15 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं।

12 सितंबर, 1996 को तत्कालीन देवगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार ने पहली बार संसद में महिलाओं के आरक्षण के लिए 81वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। विधेयक को लोकसभा में मंजूरी नहीं मिलने के बाद इसे गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। मुखर्जी समिति ने दिसंबर 1996 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालाँकि, लोकसभा के विघटन के साथ विधेयक समाप्त हो गया।

दो साल बाद, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 1998 में 12वीं लोकसभा में डब्ल्यूआरबी विधेयक को आगे बढ़ाया। हालांकि, इस बार भी विधेयक को समर्थन नहीं मिला और यह फिर से निरस्त हो गया। बाद में इसे 1999, 2002 और 2003 में वाजपेयी सरकार के तहत फिर से पेश किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।

पांच साल बाद, डब्ल्यूआरबी बिल ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार–1 के दौरान फिर से कुछ जोर पकड़ा। 2004 में, सरकार ने इसे अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल किया और अंततः इसे फिर से समाप्त होने से बचाने के लिए 6 मई 2008 को इस बार राज्यसभा में पेश किया। 1996 की गीता मुखर्जी समिति द्वारा की गई सात सिफारिशों में से पांच को विधेयक के इस संस्करण में शामिल किया गया था। यह कानून 9 मई 2008 को स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति ने 17 दिसंबर 2009 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इसे फरवरी 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। विधेयक अंततः 9 मार्च 2010 को 186–1 वोटों के साथ राज्यसभा में पारित हो गया। हालाँकि, विधेयक को लोकसभा में कभी विचार के लिए नहीं लाया गया और अंततः 2014 में लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया। राज्यसभा में पेश/पारित किए गए विधेयक समाप्त नहीं होते, इसलिए महिला आरक्षण विधेयक अभी भी बहुत सक्रिय है।

महिला आरक्षण विधेयक की मान्यताएँ

1. लोक सभा और राज्य प्रशासन में सभी महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करता है।
2. एससी और एसटी को मिलने वाला आरक्षण महिला के लिए आरक्षित रहेगा।
3. यदि लोक सभा में केवल एक ही सीट है तो वह सीट महिला लिए आरक्षित होगी।
4. यदि दो सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षित थीं तो वह एक सीट महिला के लिए आरक्षित की जाएगी
5. प्रदत्त आरक्षण इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से 15 वर्ष तक प्रभावी रहेगा।
6. निचले सदन में महिलाओं को आरक्षण विधेयक में संविधान में अनुच्छेद 330A शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 330 के प्रावधानों से लिया गया है। यह लोकसभा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
7. विधेयक में प्रावधान किया गया कि महिलाओं के लिये आरक्षित सीटें राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं।
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीटों में, विधेयक में रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिये एक–तिहाई सीटें आरक्षित करने की मांग की गई है।
9. **राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये आरक्षणः** विधेयक अनुच्छेद 332। प्रस्तुत करता है, जो हर राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। इसके अतिरिक्त SC और ST के लिये आरक्षित सीटों में से एक–तिहाई महिलाओं के लिये आवंटित की जानी चाहिये तथा विधान सभाओं के लिये सीधे मतदान के माध्यम से भरी गई कुल सीटों में से एक–तिहाई भी महिलाओं के लिये आरक्षित होनी चाहिये।
10. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के लिये आरक्षण (239AA में नया खंड):
    - संविधान का अनुच्छेद 239AA केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को उसके प्रशासनिक और विधायी कार्य के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी के रूप में विशेष दर्जा देता है।
    - विधेयक द्वारा अनुच्छेद 239AA(2)(इ) में तद्नुसार संशोधन किया गया और इसमें यह जोड़ा गया कि संसद द्वारा बनाए गए कानून दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू होंगे।
    - **आरक्षण की शुरुआत (नया अनुच्छेद–334A):**
        - इस विधेयक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन में आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिये सीटें आरक्षित करने हेतु परिसीमन किया जाएगा।
    - आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया जाएगा। हालाँकि यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहेगा।
11. **सीटों का रोटेशनः** महिलाओं के लिये आरक्षित सीटें प्रत्येक परिसीमन के बाद रोटेट की जाएंगी, जैसा

कि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

विधेयक के गुण

1. आरक्षण महिला की स्थिति को बढ़ाने में मदद करता है।
2. यह महिला को प्रेरित करने में मदद करता है।
3. यह महिला को मजबूत बनाने में मदद करता है।
4. यह महिला के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद करता है।
5. यह महिला की राजनीतिक स्थिति को मजबूत करता है।

विधेयक के दोष

1. राज्यों की परिषद् की महिलाओं की उपेक्षा करता है।
2. यह विधेयक अपर्याप्त है, क्योंकि यह केवल सदन की महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है।
3. यह बिल पुर्ननियुक्ति का लाभ नहीं देता।
4. विधेयक में केवल इतना कहा गया है कि यह 'इस उद्देश्य के लिये परिसीमन की कवायद शुरू होने के बाद पहली जनगणना के लिये प्रासंगिक आँकड़े प्राप्त करने के बाद लागू होगा।' यह चुनाव के चक्र को निर्दिष्ट नहीं करता है जिससे महिलाओं को उनका उचित हिस्सा मिलेगा।
5. वर्तमान विधेयक राज्यसभा और राज्य विधानपरिषदों में महिला आरक्षण प्रदान नहीं करता है। राज्यसभा में वर्तमान में लोकसभा की तुलना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। प्रतिनिधित्व एक आदर्श है जो निचले और ऊपरी दोनों सदनों में प्रतिबिंबित होना चाहिये।

महिला आरक्षण विधेयक के विकल्प

1. लोक समूह अधिनियम 1951 में संशोधन करके आरक्षण के लिए महिलाओं का नाम दिया जाए ताकि पार्टियाँ आवश्यकता के अनुसार महिलाओं का चयन कर सकें और उन्हें नियुक्त कर सकें।
2. महिलाओं की संख्या बढ़ाना ताकि महिलाओं को केवल उन क्षेत्रों में नियुक्त न किया जाए जहां जीतने की संभावना कम थी।

इस संशोधन या विकल्प के माध्यम से हम इस विधेयक को अधिक प्रभावी और कुशल बना सकते हैं।

कमियां

इस बिल में कई खामियां हैं। यह विधेयक लोक सभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया है, लेकिन यह राज्य सभा में महिलाओं को आरक्षण प्रदान नहीं करता है। जब महिलाएं चुनावों में चुनी गईं, तो महिलाओं पर पुरुषों का वर्चस्व था और सीटें शक्तिहीन महिलाओं को दी गईं, इसलिए इससे सभी महिलाओं की स्थिति में वृद्धि नहीं हुई, उन्हें प्रेरणा नहीं मिली, महिलाओं को मजबूती नहीं मिली, उनके जीवन स्तर में वृद्धि नहीं हुई। औरत, औरत को मजबूत नहीं करती , महिला के जीवन स्तर को नहीं बढ़ाता है, सभी महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को मजबूत नहीं करता है और नियुक्ति का लाभ भी नहीं देता है।

निष्कर्ष

यह विधेयक लोक सभा में महिलाओं को 33.3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। इस विधेयक को पारित करने की तत्काल आवश्यकता थी, क्योंकि इसमें महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों के बराबर था। इसके बाद भी समान प्रतिशत महिलाओं को इनकार का सामना करना पड़ता है। उन्हें हमेशा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस बिल को पास करने की जरूरत पड़। इस आरक्षण को सिद्ध करने का अंतिम लक्ष्य महिलाओं की स्थिति को बढ़ाना और उन्हें पुरुषों के समान अवसर प्रदान करना है। महिला आरक्षण विधेयक महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाता

है लेकिन उतना नहीं जितना अपेक्षित था। यह बिल महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास प्रतीत होता है। इस बिल से महिलाएं तरक्की हासिल कर रही हैं।

संदर्भ सूची

1. शर्मा, सुषमा, महिला आरक्षण विधेयकः एक सामाजिक–राजनीतिक विश्लेषण, *इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली,* वॉल्यूम 49, संख्या 18 (2014), पृष्ठ 47–53।
2. पिल्लई, एस. ए., और जॉर्ज, एस. (2011) महिला आरक्षण विधेयक और भारत का लोकतंत्र, *मानविकी और सामाजिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल,* वॉल्यूम 1, क्रमांक 8, पृष्ठ 2225–2230।
3. बसु, अमृता, (2012) भारत में महिला आरक्षण विधेयकरू आगे का रास्ता, *जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस,* वॉल्यूम 34, क्रमांक 2, पृष्ठ 143–160.
4. बख्शी, पी.एम., (2017) *द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,* यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, 14वां संस्करण, नई दिल्ली।
5. बसु डीडी, (2015) *भारत के संविधान का परिचय,* लेक्सिस नेक्सिस प्रकाशन, 22वां संस्करण, गुड़गांव।
6. राजाराम कल्पना, (2014) *भारतीय राजनीति,* स्पेक्ट्रम प्रकाशन नई दिल्ली।
7. लक्ष्मीकांत, एम, (2020) *इंडियन पॉलिटी,* एमसी ग्रो हिल एजुकेशन पब्लिकेशन, छठा संस्करण, नई दिल्ली।
8. सिंगला मुस्कान, महिला आरक्षण विधेयकः एक दूरगामी हकीकत?, *जर्नल ऑफ लीगल रिसर्च एंड ज्यूरिडिकल साइंसेज,* ISSN (O) 2583–0066, इश्यु II वाल्युम II।

****